

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1223]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2013/ज्येष्ठ 7, 1935
No. 1223]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2013/JYAISTHA 7, 1935

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 मई, 2013

का.आ.1378 (अ.)- नाशक कीट व नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रयोग प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में और अधिक संशोधन हेतु निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक व प्रारंभ- (1) इस आदेश को पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन द्वितीय संशोधन) आदेश, 2013 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. VI अनुसूची का संशोधन- पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में।

(i) कोष्ठक (3) में गारसिनिया मेंगोस्टाना (मेंगोस्टीन) से संबंधित क्रम संख्या 150 के सम्मुख विद्यमान प्रविष्टियों को मद (i) व (ii) के रूप में संख्यायित किया जाए और मद (i) के सम्मुख जिन्हें इस प्रकार संख्यायित किया गया है, कोष्ठक (4) में विद्यमान प्रविष्टि को (i) के रूप में संख्यायित किया जाए और इस प्रकार संख्यायित (i) के बाद और कोष्ठक (5) व (6) से संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद व प्रविष्टियां शामिल की जाएं, अर्थात्:-

(4)	(5)	(6)
(ii) श्रीलंका	शून्य	शून्य

(ii) कोष्ठक (3) में जुगलान्स एसपीपी (अखरोट) से संबंधित क्रम संख्या 184 के सम्मुख विद्यमान प्रविष्टि को मद (i) के रूप में पुनः संख्यायित किया जाएगा और मद (i) के बाद जिसे इस प्रकार से संख्यायित किया गया है और कोष्ठक (4), (5) व (6) से संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख, निम्नलिखित मद व प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)	(6)
उपभोग के लिए सूखे मेवे (छिलका सहित व छिलका रहित)	यूएसए	निम्नलिखित से मुक्त: (क) एक्रोबेसिस नक्सवोरेला (पीकैन नट केसबीयरर) (ख) एमीलोइस ट्रांजिटैला (नैवल ओरेंज वॉर्म) (ग) कूरकूलियो केरीये (पीकैन वीवल) (घ) सीडिया कैरयाना (हिकरी शकवॉर्म) (ङ) ब्रैनीरिया रबरी पेशियनस (अखरोट की डीप बार्क कैंकर) (च) ब्रैनीरिया नाइजरीफ्लूएंस (शैलो बार्क कैंकर)	एनएपी के तहत 21 डिग्री सें. व उससे अधिक 16 ग्राम/सीयू. एम की दर पर 24 घंटे के लिए मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन और उपचार को पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र या अन्य किसी धूमक इस उद्देश्य के लिए पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित तरीके से पदार्थ पर पृष्ठांकित किया जाएगा।

(iii) कोष्ठक (3) में नैफेलियम लैपैकम (रामबूटन) के संबंध में क्रम संख्या 229 के सम्मुख विद्यमान प्रविष्टियों को मद (i) व (ii) के रूप में संख्यायित किया जाएगा और इस प्रकार से संख्यायित मद (i) के सम्मुख कोष्ठक (4) में विद्यमान प्रविष्टि को मद (i) के रूप में संख्यायित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यायित मद (i) के बाद कोष्ठक (5) व (6) से संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख निम्नलिखित मद व प्रविष्टियां शामिल की जाएगी, अर्थात्:

(4)	(5)	(6)
(ii) श्रीलंका	निम्नलिखित से मुक्त: (क) सूडो कोकस जैकबीयर्डशले (जैक बीयर्डशले मीलेबग)	साढ़े तीन घंटे के लिए 21 डिग्री सें. या उससे अधिक या समतुल्य के लिए 32 ग्राम/क्यूबिक मीटर की दर पर एमबीआर धूमन। उपचार मूल देश/पुनः निर्यात के देश पर जारी किए गए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाए।

(iv) कोष्ठक (3) में हाइलोसीरियस अनडेटस (ड्रैगन फल) के संबंध में क्रम संख्या 418 के सम्मुख, कोष्ठक (4) में मद (ii) उपभोग के लिए ताजे फल के संबंध में प्रविष्टि (i) के सम्मुख और कोष्ठक (5) व (6) में संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख निम्नलिखित मद व प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

(4)	(5)	(6)
(iii) वियतनाम	शून्य	शून्य

(V) कोष्ठक (3) में “ परशिया अमेरिकाना (एवोकैडो) से संबंधित क्रम संख्या 564 के सम्मुख, मद (i) के बाद कोष्ठक (4) में उपभोग के लिए ताजे फल के संबंध में प्रविष्टि (ii) के सम्मुख और कोष्ठक (5) व (6) में संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख निम्नलिखित मद व प्रविष्टियों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

(4)	(5)	(6)
(ii) पेरू	निम्नलिखित से मुक्त: (क) एनेस्ट्रेफा सरपैन्टिना (सेपोडिला फ्रूट फ्लाई) (ख) स्टेनोमा कैटनाइफर (एवोकैडो मोथ) (ग) एवोकैडो सनब्लोच वायरोयड (एवोकैडो सन ब्लॉच)	अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एनेस्ट्रेफा सरपैन्टिना (सेपोडिला फ्रूट फ्लाई) के लिए नाशक जीव मुक्त स्थिति या एनेस्ट्रेफा फ्रैटरक्यूलस (दक्षिण अमेरिकी फ्रूट फ्लाई), एनेस्ट्रेफा सरपैन्टिना (सेपोडिला फ्रूट फ्लाई), एनेस्ट्रेफा स्ट्रीआटा (गवावा फ्रूट फ्लाई) व सेराटाइटिस केपीटाटा (मैडीटेरीनियन फ्रूट फ्लाई) के सम्मुख 0 डिग्री सें. या 13 दिन से कम; 0.55 डिग्री सें. या 14 दिन से कम; 1.11 सें. या 18 दिन से कम व इन - ट्रांजिट रेफ्रिजैरेशन के लिए लदान पूर्व शीत उपचार
		(ख) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्टेनोमा कैटेनिफर (एवोकाडो मोठ) हेतु नाशीजीव मुक्त स्थिति अथवा एनएपी के अनुरूप 21 से. अथवा उससे अधिक अथवा उसके अनुरूप पर 3 ½ घंटे तक 32जी/क्यूबिक मीटर की दर पर मिथाइल धूमन

(iii) न्यूजीलैंड	निम्नलिखित से मुक्त : (क) लिनेपिथेमा हुमाइल (एग्रेन्टाइन आन्ट) (ख) फाइटोफेथोरा क्राइप्टाजी (टोमेटो फुट रोट)	
---------------------	--	--

(vi) क्र.सं. 770
के पश्चात एवं

उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्र. संख्या एवं प्रविष्टियाँ शामिल की जाएं, नामतः

क्र.सं.	पौध प्रजाति	पौध सामग्री की श्रेणी	उद्गम का देश	पौध स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल किए जाने के लिए अतिरिक्त घोषणा	आयात की विशेष शर्त
1	2	3	4	5	6
'771'	पीसा मरियाना	वुड विदाउट बार्क	(i)कनाडा	निम्नलिखित से मुक्त: (क) क्राईसोम्यवसा पाइरोलेटा विन्ट (इनलैण्डस्पुस कोन रस्ट) (ख) साइडिया स्ट्रोबिलेला लिन (स्पुस सीड मोठ) (ग) झाइकोस्टस एफाबेर मनेरहेम (फारयेड स्पूरा ब्रेक बीटल) (घ) झायोकोट्स आटोग्राफ्स रेटजेवर्ग (स्पुस बार्क बीटल) (ङ) हाइलो बिसस कोनगेनर डाला टोरा (सीडलिंग डी बार्किंग विवल) (च) आईपीएसपरटुरवटुस आईचोफ(नार्दन स्पुस इन्गरावर) (छ) पालियाफस रुफिप्रेनिस किर्बी	एनएपी के तहत 21सैं. पर और उससे अधिक अथवा समकक्ष 24 घंटे तक 48जी प्रति क्यूबिक मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन अथवा 30 मिनट तक 56सैं. (कोर तापमान) पर उष्ण उपचार अथवा पौध संरक्षक सलाहकार द्वारा अनुमोदित उपचार। उद्गम/पुनः

				(स्पुस बार्क बीटल)	निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र पर उपचार पृष्ठांकित होना चाहिए।
772	पिसा मरियाना	वुड विदाऊट बार्क	(i) कनाडा	निम्नलिखित से मुक्त होना चाहिए:- (क)एर्क्योबियम पुसीलुम (इस्टर्न इवार्फ मिसटलेड) (ख)बुर्शाफेलेन्चस जाइलोफिलुस (पिने विल्ट नेमाटोड) (ग)डेन्ड्रोक्टोनस रूफीपेनिस (स्पुस बिटल) (घ)हेटेरोबासिडियेन एनोसम (ङ)आईपीएस पिनि (पाइन एन्ग्रावर) (च)लाम्बडिना फिससेलारिया (इस्टर्न हेमलाक लूपर) (छ)मोनोचामुस मारमोरेटर (बालसमफिर सावयर) (ज)सिरोकोकस कोनिजेनस(ब्राउन स्पुस लोगंहार्न बिटल) (झ)टेट्रोपियम फुस्कुम (सिरोकोकस ब्लाइट ऑफ कोनिफेरस)	एनएपी के तहत 21सैं. पर और उससे अधिक अथवा 24 घंटे तक 48जी प्रति क्यूबिक मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइक के साथ घूमन अथवा 30 मिनट तक 56सैं. (कोर तापमान) पर उष्ण उपचार अथवा पौध संरक्षक सलाहकार द्वारा अनुमोदित उपचार। उद्योग/पुनः निर्या के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र पर उपचार पृष्ठांकित होना चाहिए।

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: पौध संगरोध (भारत में आयात का नियमन), आदेश, 2003 का संख्या का.आ.1322 (अ.सा.), दिनांक 18 नवम्बर, 2003 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशन हुआ था और तदुपरान्त संख्या का.आ. 167 (अ.सा.), दिनांक 6 फरवरी, 2004, का.आ. 427 (अ.सा.), दिनांक 29 मार्च, 2004, का.आ. 644 (अ.सा.), दिनांक 31 मई, 2004, का.आ. 263 (अ.सा.), दिनांक 25 फरवरी, 2005, का.आ. 462 (अ.सा.), दिनांक 31 मार्च, 2005, का.आ. 1121 (अ.सा.), दिनांक 14 जुलाई, 2006, का.आ. 1353 (अ.सा.), दिनांक 31 जुलाई, 2006, का.आ. 1873 (अ.सा.), दिनांक 31 अक्टूबर, 2006, का.आ. 2074 (अ.सा.), दिनांक 6 दिसम्बर, 2006, का.आ. 2069 (अ.सा.), दिनांक 3 दिसम्बर, 2007, का.आ. 3 (अ.सा.), दिनांक 31 दिसम्बर, 2007, का.आ. 2847 (अ.सा.), दिनांक 8 दिसम्बर, 2008, का.आ. 2888 (अ.सा.), दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, का.आ. 2286 (अ.सा.), दिनांक 9 सितम्बर, 2009, का.आ. 2390 (अ.सा.), दिनांक 16 सितम्बर, 2009, का.आ. 3269 (अ.सा.), दिनांक 23 दिसम्बर, 2009, का.आ. 3298 (अ.सा.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2009, का.आ. 907 (अ.सा.), दिनांक 21 अप्रैल, 2010, का.आ. 2095 (अ.सा.), दिनांक 27 अगस्त, 2010, का.आ. 2711 (अ.सा.), दिनांक 4 नवम्बर, 2010, का.आ. 3052 (अ.सा.), दिनांक 28 दिसम्बर, 2010, का.आ. 887 (अ.सा.), दिनांक 28 अप्रैल, 2011, का.आ. 296 (अ.सा.), दिनांक 17 फरवरी, 2012, का.आ. 2275 (अ.सा.), दिनांक 23 दिसम्बर, 2012, और का.आ. 799 (अ.सा.) दिनांक 21 मार्च, 2013 के तहत संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2013

S.O. 1378 (E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Second Amendment) Order, 2013.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003,-
 - (i) Against serial no.150, relating to *Garcinia mangostana* (Mangosteen), in column (3) the existing entries shall be numbered as item (i) and (ii) thereof and against item (i) as so numbered the existing entry in column (4) shall be numbered as (i) thereof and after (i) so numbered and the entries relating thereto, in columns (5) and (6) the following item and entries shall respectively be inserted, namely :-

(4)	(5)	(6)
(ii) Sri Lanka	Nil	Nil

- (ii) Against serial number 184, relating to *Juglans spp.* (Walnut), in column (3), the existing entry shall be re-numbered as item (i) thereof, and after item (i) as so re-numbered and the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely :-

(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----

(ii) Dry fruits for consumption (shelled and unshelled)	USA	Free from : (a) <u><i>Acrobasis nuxvorella</i></u> (pecan nut casebearer) (b) <u><i>Amyelois transitella</i></u> (navel orange worm) (c) <u><i>Curculio caryae</i></u> (pecan weevil) (d) <u><i>Cydia caryana</i></u> (hickory shuckworm) (e) <u><i>Brenneria rubrifaciens</i></u> (deep bark canker of walnut) (f) <u><i>Brenneria nigrifluens</i></u> (shallow bark canker)	Fumigation with Methyl bromide @ 16g/cu. m for 24hrs at 21°C and above under NAP and the treatment shall be endorsed on the phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose
---	-----	---	--

- (iii) Against serial no.229, regarding *Naphelium lappaceum* (Rambutan), in column (3) the existing entries shall be numbered as item (i) and (ii) thereof and against item (i) as so numbered the existing entry in column (4) shall be numbered as (i) thereof and after (i) so numbered and the entries relating thereto, in columns (5) and (6) the following item and entries shall respectively be inserted, namely :-

(4)	(5)	(6)
(ii) Sri Lanka	Free from: (a) Pseudococcus Jackbeardsley (Jack Beardsley mealybug)	MBr fumigation @ 32 g/ cubic metre for 3 ½ hrs at 21°C or above or equivalent thereof. The treatment should be endorsed on phytosanitary certificate issued at the country of Origin/ re-export.

- (iv) Against serial no. 418, regarding *Hylocereus Undatus* (Dragon Fruit), in column (3) against the entry (i) regarding fresh fruit for consumption, in column (4), after the item (ii) and the entries relating thereto in column (5) and (6) the following item and entries shall respectively be inserted, namely :-

(4)	(5)	(6)
	Nil	Nil

(iii) Vietnam		
---------------	--	--

- (v) Against serial number 564 relating to “*Persea americana* (Avocado)’ in column (3) against the entry (ii) regarding fresh fruit for consumption, in column (4), after the item (i) and the entries relating thereto in column (5) and (6) the following item and entries shall respectively be inserted, namely :-

(4)	(5)	(6)
(ii) Peru	Free from: (a) <i>Anastrepha serpentina</i> (sapodilla fruit fly) (b) <i>Stenoma catenifer</i> (avocado moth) (c) <i>Avocado sunblotch viroid</i> (avocado sun blotch)	a) Pest free status for <i>Anastrepha serpentina</i> (sapodilla fruit fly) as per international standards or Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruit fly), <i>Anastrepha serpentina</i> (sapodilla fruit fly), <i>Anastrepha striata</i> (guava fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (b) Pest free status for <i>Stenoma catenifer</i> (avocado moth) as per international standards or Methyl Bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 3 1/2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof.
(iii) New Zealand	Free from: (a) <i>Linepithema humile</i> (Argentine ant) (b) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot)	--

- (vi) After serial number 770 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

S.No.	Plant Species	Category of plant material	Country of Origin	Additional declarations required to be incorporated into phytosanitary certificate	Special conditions of import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

“ 771	<i>Picea mariana</i>	Wood without Bark	(i) Canada	<p>Free from:</p> <p>(a) <i>Chrysomyxa pirolata</i> Wint.(Inland spruce cone rust)</p> <p>(b) <i>Cydia strobilella</i> Linn(Spruce seed moth)</p> <p>(c) <i>Dryocoetes affaber</i> Mannerheim (Foureyed spruce brak beetle)</p> <p>(d) <i>Dryocoetes autographus</i> Ratzeburg(Spruce Bark beetle)</p> <p>(e) <i>Hylobius congener</i> Dalla Torre(Seedling debarking weevil)</p> <p>(f) <i>Ips perturbatus</i> Eichhoff(Northern spruce engraver)</p> <p>(g) <i>Polygraphus rufipennis</i> Kirby(Spruce Bark beetle)</p> <p>Free from:</p> <p>(a) <i>Arceuthobium pusillum</i>(Eastern dwarf mistletoe)</p> <p>(b) <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>(Pine wilt nematode)</p> <p>(c) <i>Dendroctonus rufipennis</i>(Spruce beetle)</p> <p>(d) <i>Gremmeniella abietina</i>(Brunchorstia disease)</p> <p>(e) <i>Heterobasidion annosum</i></p> <p>(f) <i>Ips pini</i>(Pine engraver)</p> <p>(g) <i>Lambdina fiscellaria</i>(Eastern hemlock looper)</p>	<p>Fumigation with Methyl bromide at 48g per cubic metre for 24 hrs at 21 ° C and above or equivalent thereof under NAP or heat treatment at 56 °C (core temperature) for 30 minutes or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.</p> <p>Fumigation with Methyl bromide at 48g per cubic metre for 24 hrs at 21 ° C and above or equivalent thereof under NAP or heat treatment at 56 °C (core temperature) for 30 minutes or any other treatment approved by Plant Protection Adviser .The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.</p>
		Wood without bark			

772	<i>Picea rubens</i>		(i) Canada	<p>(h) <i>Monochamus marmorator</i>(Balsam fir sawyer)</p> <p>(i) <i>Sirococcus conigenus</i>(Brown spruce longhorn beetle)</p> <p>(j) <i>Tetropium fuscum</i>(Sirococcus blight of conifers)</p>	
-----	---------------------	--	------------	---	--

[F.No.8-57/2011-PP.II]

(Utpal Kumar Singh)

Joint Secretary to the Government of India

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 31st December, 2007, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. 296(E) dated 17th February, 2012, S.O.2275(E) dated 23rd November, 2012 and S.O. No. 799(E) dated 21st March, 2013.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

